प्रमाण पत्र

इन्दौर – एदलाबाद राजमार्ग लम्बाई 945.00 मी. चौंडाई 33.86 मीटर मार्ग निर्माण में वनमण्डलाधिकारी की अनुशंसा एवं विस्तृत टीप

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वय ईकाई, 66–67 सिद्धि विनायक कालोनी, दादाजी कालेज के पास इन्दौर रोड़, खण्डवा, द्वारा ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/ROAD/152561/2022 में खरगोन जिले के बडवाह वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र सनावद में इन्दौर एदलाबाद राजमार्ग फोरलेन निर्माण लम्बाई 945.00 मीटर एवं चौडाई 33.86 मीटर मार्ग निर्माण हेतु 03.20 हेक्टेयर वनभूमि मार्ग निर्माण में राष्ट्रीय उद्यान/अभ्यारण्य/वन्यप्राणी कॉरीडोर/वन्य जीव मण्डल रिजर्व/सैम्पल प्लाट का भाग नहीं है तथा प्रस्तावित क्षेत्र में कोई भी ऐतिहासिक धरोहर/स्मारक प्रभावित नहीं हो रहा है। क्षेत्र में सागौन प्रजाति का कोई वृक्ष प्रभावित नहीं हो रहा है एवं अन्य प्रजाति के 64 वृक्ष कुल 64 वृक्ष काटे जाना प्रस्तावित है। जिससे वन्यप्राणियों के जीवन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रस्तावित क्षेत्र की मांग न्यूनतम मांग है तथा इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प उपलब्ध नही है।

इन्दौर एदलाबाद फोरलेन मार्ग निर्माण कक्ष कमांक 291 में भारत सरकार की अनुमति के बिना कार्य कराया जा रहा था। संज्ञान में आते ही कार्य को तत्काल ही बंद कराया गया है तथा निर्माण कार्य कराने वाले के.सी.सी. बिल्डकोन प्रायवेट लिमिटेड कंपनी के सीनियर मैनेजर श्री राकेश यादव जिनके द्वारा कार्य कराया जा रहा था उनके विरूद्ध बिना अनुमति के कार्य कराने के संबंध में वन अपराध प्रकरण कमांक 3605/22 दिनांक 26.02.2022 दर्ज किया जाकर प्रकरण की जांच कार्यवाही प्रचलित है।

प्रोजेक्ट डायरेक्टर, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इण्डिया, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंशन यूनिट 66–67 सिद्धि विनायक कालोनी, दादाजी कालेज के पास इन्दौर रोड़, खण्डवा को परिक्षेत्र सनावद की 03.20 हेक्टेयर आरक्षित वनभूमि इन्दौर एदलाबाद फोरलेन निर्माण हेतु उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।

निरिक्षण दिनांकः– 15-03-2022

(एम.बी.सिरसैया)
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल बडवाह

E:\Hcl Data\Indore-Edlabad\certificate.doc